न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—240/2020/225 (2020/00240)

1. योगेश कुमार बंसल पुत्र स्व0 बृजमोहन बंसल, जाति अग्रवाल (बंसल) निवासी आदर्श नगर, अजमेर रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. सोहनसिंह पुत्र पीथासिह,
2. श्रीमती हाजरी पत्नि सोहनसिंह,
दोनो जाति मेहरात, निवासी ग्राम सनवा, पटवार हल्का गोहाना (जवाजा) तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर दिनांक 18.11.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 19/2020.

उपस्थितः—

1. श्री लोकश शिवनानी, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 12.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय दिनांक 18.11.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. अपीलांट/प्रार्थी ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण/रेस्पो0 के पेश कर कथन किया कि ग्राम सनवा (राजियावास) पटवार क्षेत्र गोहाना, तहसील ब्यावर जिला अजमेर में खाता संख्या नया 88 पुराना 74 के खसरा नंबर 90 रकबा 3—2—00, खसरा नबर 91/1 रकबा 1—19—19, खसरा नंबर 119 रकबा 2—17—10, खसरा नंबर 121/1 रकबा 00—00—15, खसरा नबर 120 रकबा 2—00—00 नया नंबर 756/120 हिस्सा 1/3 अवस्थित है । उपरोक्त आराजियात राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अपीलांट/प्रार्थी योगेश बंसल के नाम से दर्ज चली आयी है तथा जमाबंदी संतव् 2072 से 2075 में अपीलांट के नाम नामांतकरण हो रखा है । इन्हीं कृषि भूमियों के पास ही सिंचाई हेतु पानी की नहर बनी हुई है तथा पास में ही नहर जा रही है । इस नहर जो अपीलांट के खेतों से गुजरती है, इसमें जानवरों के बचाव के लिए प्रार्थी ने नहर के किनारे साईड में कांटो की बाड़ लगा रखी है जो अपीलांट की स्वंय की निजी है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 आपस में पति व पत्नि है जिनकी नियत खराब है । रेस्पो0 ने वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करने व दखलदांजी पैदा करने की नियत से अपीलांट के खेतों में लगी नहर के पास कांटों की बाड़ हटाने पर आमादा है तथा अपीलांट की जमीन पर

नाजायज कब्जा करने पर आमादा है जबकि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के खेत अपीलांट के खेतों के पीछे है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 18.11.2020 को प्रार्थी का अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का निवेदन निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने तथा रेस्पो0 के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में विद्वान वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश में यह अंकित किया है कि अपीलांट द्वारा खाता संख्या 57 व 85 के राजस्व अभिलेखों में अंकित अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है । जबकि अपीलांट का उक्त खाते के सहखातेदारान से किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहा है, ना ही उक्त सहखातेदारान के विरूद्ध कोई अनुतोष ही चाहा गया है । अपीलांट ने केवल रेस्पो0 के विरूद्ध ही अनुतोष चाहा है । रेस्पो0 का वादग्रस्त भूमियों से कोई संबंध नहीं है । रेस्पो0 को अपीलांट की खातेदारी आराजी में किसी तरह की कोई दखलदांजी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । इसके बावजूद रेस्पो0 अपीलांट की आराजी पर जबरन दखलदांजी करते है । ऐसी स्थिति में रेस्पो0 को प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जाना उचित था। अधी0न्याया0 ने आदेश में यह अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि प्रार्थी के किस खसरा नंबर पर बाड़ लगी है जो नहर के पास स्थित है । जबकि अपीलांट ने अपनी आराजियात में बाड़ लगाया जाना अंकित किया है । साथ ही अपीलांट ने अधी0न्याया0 में राजस्व मानचित्र भी प्रस्तुत किया था जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट था कि वादग्रस्त आराजियात के मध्य में से ही उक्त नहर जा रही है । विवादित आराजियात अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । रेस्पो0 को वादग्रस्त आराजियात में तथा उनके मध्य स्थित नहर में किसी तरह की कोई दखलदांजी करने तथा नहर का पानी रोकने का कोई अधिकार हांसिल नहीं है । यदि रेस्पो0 अपीलांट को वादग्रस्त आराजियात से जबरन बेदखल करने तथा कब्जा करने में सफल हो गये तथा बाड़ को नष्ट कर देते है तो अपूर्णीय क्षति अपीलांट को होगी । ऐसी स्थिति में रेस्पो0 को प्रार्थना पत्र के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना आवश्यक था । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी नियत करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे ।

5. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी/अपीलांट ने स्वंय की खातेदारी आराजियात की सुरक्षा हेतु कांट की बाड़ लगा रखी है किन्तु अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करने की नियत से बाड़ हटाने पर आमादा है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 57 व 85 में अंकित वादस्ग्रत आराजियात प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है किन्तु खाता संख्या 57 में अंकित वादग्रस्त

आराजियात में अन्य सहखातेदार भी अंकित है किन्तु अपीलांट ने खाता संख्या 57 के अन्य सहखातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नियुक्त नहीं किया है । इसके अतिरिक्त अपीलांट ने अपने वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी उल्लेखित नहीं किया है कि उसके द्वारा किस खसरा नंबर पर बाड़ लगा रखी है जो नहर के पास स्थित है । खाता संख्या 57 का सहखातेदारों के मध्य विधिक विभाजन नहीं हुआ है जिससे खाता संख्या 57 के विशेष भू–भाग पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं माना जा सकता है । मूल प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्राप्त होने पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित होने से अधी0न्याया0 ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का निवेदन निरस्त किया है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

6. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2020 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 12.11.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर